न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 43/2018 प्रार्थना पत्र

भैरू पिता रामा तेली, निवासी– पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

बनाम

तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए जा.दी. बाबत् अवमानना

उपस्थित –

1. श्री एम.एल. बापना अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 30-01 .2020

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए जा.दी. अवमानना का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के तहत पेश होने पर प्रकरण संख्या 15/17 से 25/17 निगरानी पंचायत दर्ज होकर दिनांक 03.05.2018 को निस्तारित हुई एवं विपक्षी को निर्देश जारी फरमाया गया था कि नामान्तरण संख्या 763 के विरूद्ध अपील/रेफरेन्स सक्षम न्यायालय में पेश की जावे। किन्तु विपक्षी द्वारा इन्तकाल संख्या 763 के विरूद्ध अपील अथवा रेफरेन्स की कोई कार्यवाही नहीं कराई गई है एवं अपनी मर्जी से इन्तकाल संख्या 970 दिनांक 12.07.2017 को फैसल कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत पालरा को बिलानाम भूमि को आबादी में दर्ज करने का अधिकारी नहीं माना गया है इस नामान्तरणकरण संख्या 763 ही अपास्त हो गया हो इस नामान्तरणकरण से संबंधित आराजी संख्या 937 मि. रकबा 0.19 हैक्ट. आबादी से हटकर बिलानाम हो गई। किन्तु विपक्षी ने अपनी मनमर्जी से नामान्तरण सख्या 970 दिनांक 12.07.2017 पुनः आबादी में ही रख दिया गया जबकि ऐसा करने का विपक्षी को अधिकार नही है।

उक्त प्रकार से विपक्षी ने माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 15/17 से 25/17 निगरानी पंचायत अधिनियम में प्रदान किये गये निर्देश की पालना नहीं कर अपनी मर्जी से इन्तकाल 970 फैसल कर दिया। इस प्रकार विपक्षी ने माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना की है और विपक्षी अवमानना का दोषी है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे और विपक्षी को माननीयय न्यायालय के आदेशों की अवमानना का दोषी कराया जाकर उचित दण्डादेश दिया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.08.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के तहत पेश होने पर प्रकरण संख्या 15/17 से 25/17 निगरानी पंचायत दर्ज होकर दिनांक 03.05.2018 को निस्तारित हुई एवं विपक्षी को निर्देश जारी फरमाया गया था कि नामान्तरण संख्या 763 के विरूद्ध अपील/रेफरेन्स सक्षम न्यायालय में पेश की जावे। किन्तु विपक्षी द्वारा इन्तकाल संख्या 763 के विरूद्ध अपील अथवा रेफरेन्स की कोई कार्यवाही नहीं कराई गई है एवं अपनी मर्जी से इन्तकाल संख्या 970 दिनांक 12.07.2017 को फैसल कर दिया गया है। उक्त प्रकार से विपक्षी ने माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 15/17 से 25/17 निगरानी पंचायत अधिनियम में प्रदान किये गये निर्देश की पालना नहीं कर अपनी मर्जी से इन्तकाल 970 फैसल कर दिया। इस प्रकार विपक्षी ने माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना की है और विपक्षी अवमानना का दोषी है। निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे और विपक्षी को माननीयय न्यायालय के आदेशों की अवमानना का दोषी कराया जाकर उचित दण्डादेश दिया जावें।

विपक्षी राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी रायपुर के यहां एल.आर.एक्ट धारा 136 के तहत वाद दायर किया गया जिसमें आराजी नम्बर 1237 रकबा 0.21 हैक्ट. को गे.मु. आबादी को पुनः ग्राम पंचायत पालरा " आयुर्वेदिक अस्पताल व आंगनबाडी केन्द्र" के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 12.07.2017 को पारित होने से नामान्तरकरण संख्या 970 दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 03.05.2018 से पूर्व ही रिकार्ड दुरूस्त हो जाने से अपील/ रेफरेन्स प्रकरण तैयार नहीं किया गया।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि तहसीलदार रायपुर ने जवाब प्रेषित कर अंकित किया कि "उपखण्ड अधिकारी रायपुर के यहां एल.आर.एक्ट धारा 136 के तहत वाद दायर किया गया जिसमें आराजी नम्बर 1237 रकबा 0.21 हैक्ट. को गे.मु. आबादी को पुनः ग्राम पंचायत पालरा " आयुर्वेदिक अस्पताल व आंगनबाडी केन्द्र" के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 12.07.2017 को पारित होने से नामान्तरकरण संख्या 970 दर्ज किया गया था। तहसीलदार रायपुर ने नामान्तरकरण संख्या 970 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर के आदेश से दिनांक 12.07.2017 को स्वीकृत किया गया है। प्रकरण संख्या 25/2017 में प्रार्थी निगराकार होकर उक्त प्रकरण के निर्णय दिनांक 03.05.2018 से पूर्व निर्णय दिनांक 12.07.2017 के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। विपक्षी तहसीलदार रायपुर ने उक्त

प्रकरण में न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 03.05.2018 से पूर्व ही रिकार्ड दुरूस्त हो जाने से अपील/ रेफरेन्स प्रकरण तैयार नहीं किये जाने का अंकन अपने पत्र में किया हैं। इसी प्रकार प्रार्थी को नामान्तरकरण संख्या 970 दिनांक 12.07.2017 पर कोई आपत्ति हैं तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर के निर्णय के विरूद्व इसकी अपील किये जाने हेतु प्रार्थी स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए जा.दी. बाबत् अवमानना स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए जा.दी. बाबत् अवमानना विरूद्ध तहसीलदार रायपुर अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30-01-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा।